सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 29, बुधवार, शाके 1944-जुलाई 20, 2022
Asadha 29, Wednesday , Saka 1944- July 20, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2022

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी-4918 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 3 के अनुसरण में मास्टर विकास योजना-2025 में जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्न लिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु अधिसूचना दिनांक 11.02.16 को जारी कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थें। 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। प्रकरण को कार्यकारी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 16.06.2016 में रखा जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चायत राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 166वीं बैठक दिनांक 22.09.2021 में व्यापक जनहित के मध्यनजर जोनल डवलपमेन्ट प्लान-11बी अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित सडक हेतु सडक के मध्य से नियमानुसार भूमि सडक हेतु छोडते हुये शेष भूमि 30000 वर्ग मीटर का आवासीय से व्यावसायिक (हॉलसेल कॉमशियल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके पष्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2021 को प्रकरण में समिति द्वारा प्रकरण पर लिए गये निर्णय की सषर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 389 रकबा 16.94 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मीटर (3 हैक्टेयर) भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 में आवासीय से व्यावसायिक (होलसेल कॉमर्शियल) राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति द्वारा जारी सषर्त स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के अध्याधीन किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 11.02.2022 को जारी की गयी। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय संस्करण) में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

उज्जवल राठौड,
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, **जयपुर।**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।